रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266052
CG-DL-E-10092025-266052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947
No. 569] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम(1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 2015 का उन बातों के, सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे अधिक्रमण से पूर्व या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में सचिव के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (सचिव), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तिओं की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
सचिव	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78800-209200) में

चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना।
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के एसे अधिकारी, - क (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67700-208700 रुपये)	लागू नहीं होता ।

या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में प्रशासन, सम्मेलन या प्रशिक्षण या संगोष्ठी आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, जीव-जंतु कल्याण या पशु उपचार, पशुचिकित्सा देखभाल और जीव-जंतु कल्याण विधियों इत्यादि का ज्ञान रखते हों, ख निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:- (i) अनिवार्य अर्हताएं:- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984(1984 का 52) की अंतिम अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत समतुल्य से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री या पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक डिग्री; (ख) प्राणी विज्ञान या जैव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वानिकी या वन्य जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) वांछनीय अर्हताएं:- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्विज्ञान या शल्य चिकित्सा या वायरस विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जैव-विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान या परजीवी विज्ञान या पशु चिकित्सा लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; या (ख) प्राणी विज्ञान या जैव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वानिकी या वन्य जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा; **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 से अधिक नहीं होगी|	

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. वी-11/16/2021-प्रशा. 6]

अभिजित मित्र, पशुपालन आयुक्त

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by clause (l) of sub-section (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act (59 of 1960) and in supersession of the Animal Welfare Board of India (Secretary) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Animal Welfare Board of India under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Animal Welfare Board of India (Secretary) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Secretary.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.
(11)	(12)
Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (iii) having five years' experience in administration, organising conferences or training or seminars, having knowledge in Animal Welfare or Animal treatment, Veterinary Care and Animal Welfare Laws etc. in the Central Government or State Government or Union territories Administrations; and b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Essential qualification:- (A) Bachelor's degree in Veterinary Science or Bachelor degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University or equivalent specified in Final Schedule I or the Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) and registered with Veterinary council of India or State Veterinary Council; or (B) Masters degree or Diploma in Zoology or Biological Sciences or environmental sciences or forestry or Wild Life Sciences; (ii) Desirable qualification:- (A) Master's degree in Veterinary Science in the field of Medicine or Surgery or Virology or Bacteriology or	Not applicable.

Microbiology or Immunology or Parasitology or Veterinary Public Health from a recognised University or equivalent; or (B) Master's degree or Diploma in Zoology or Biological Sciences or environmental sciences or forestry or Wild Life Sciences. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. V-11/16/2021-Admin_6]
ABHIJIT MITRA, Animal Husbandry Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.10 23:01:46 +05'30'